

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग (पशुपालन)

राज्य में अंडा देने वाली मुर्गी (लेयर) फार्म की स्थापना कर
अंडा उत्पादन के क्षेत्र में राज्य को आत्म निर्भर बनाने हेतु
सरकार की महत्वाकांक्षी योजना

समेकित मुर्गी विकास योजना-लेयर मुर्गी पालन

योजना के मुख्य बिन्दु :-

- ❖ निजी क्षेत्रों में अंडा उत्पादन करने हेतु 5000 क्षमता वाले लेयर मुर्गी फार्म की स्थापना हेतु परियोजना लागत का 50 प्रतिशत (अधिकतम पच्चीस लाख रुपये) अनुदान की व्यवस्था।
- ❖ प्रथम चरण में योजना का कार्यान्वयन-पटना, नालन्दा, गया, वैशाली, सारण एवं सीवान जिलों में।
- ❖ लाभुकों का चयन जिला पशुपालन पदाधिकारी द्वारा।
- ❖ कुक्कुट पालन प्रशिक्षण प्राप्त आवेदकों को प्राथमिकता।
- ❖ राज्य में अंडा उत्पादन हेतु कुल 19 लेयर मुर्गी फार्म यूनिटों की स्थापना।

कम पूँजी से ज्यादा आय, मुर्गी पालन भला उपाय!!

अधिक जानकारी हेतु निदेशक, पशुपालन अथवा संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी से सम्पर्क स्थापित करें।



प्रपत्र-1

वर्ष 2014-15 में "समेकित मुर्गी विकास योजना-लेयर मुर्गी पालन" के तहत
5000 क्षमता वाले लेयर मुर्गी फार्म योजना के तहत लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र

1. आवेदक का नाम :
2. पिता/पति का नाम :
3. जन्म तिथि :
4. उम्र :
4. शैक्षणिक योग्यता :
5. पेशा :
6. कोटि : (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति)(जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है)
7. स्थायी पता :-
ग्राम : पोस्ट :
- थाना : प्रखंड :
- जिला : पिन कोड :
8. दूरभाष/मोबाईल नं०:-
9. कुक्कुट पालन में प्राप्त प्रशिक्षण अथवा पूर्व अनुभव का विवरण :

आवेदक का पासपोर्ट
साईज का अभिप्रेमाणित
फोटोग्राफ

प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा दी गई उपर्युक्त सूचनाएँ सही हैं तथा योजना के लिए निर्धारित शर्तों का मेरे द्वारा अनुपालन किया जाएगा।

तिथि

आवेदक का हस्ताक्षर

आवेदन का प्राप्ति रसीद

प्राप्ति रसीद संख्या :-

दिनांक-/2014

आवेदक श्री पिता/पति का नाम :-

ग्राम : पोस्ट : थाना :

प्रखंड : जिला : पिन कोड : द्वारा

"समेकित मुर्गी विकास योजना" के तहत निःशुल्क चूजों के वितरण की योजना के तहत लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र समी वांछित अनुलग्नकों सहित प्राप्त किया।

प्राप्तकर्ता पदाधिकारी/कर्मी का हस्ताक्षर, नाम, पदनाम, एवं
कार्यालय का मुहर।

नोट:- आवेदन पत्र प्रकाशन के तिथि के 15 दिनों के अन्दर तक प्राप्त किये जायेंगे।